



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18—ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज—211 001

उ०शि०आयोग / सी—824(ii) / 166(1) / 2021—22

दिनांक: 30 जून, 2021

प्रेस—विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या—50 में विज्ञापित सहायक आचार्य पदों हेतु अभ्यर्थियों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आयोग की बैठक सं0—1130 दिनांक 21.06.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, फीस जमा करने, संशोधन करने एवं आवेदन पत्र सबमिट किये जाने हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 08 जुलाई, 2021 तक अनुमति दी गयी है।

उक्त क्रम में अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन—पत्र भरें।

- जिन अभ्यर्थियों का आवेदन, आवेदन शुल्क भुगतान करते समय गलत रजिस्ट्रेशन नम्बर भरने अथवा आवेदन शुल्क जमा करने के पेज में गलत विवरण देने के कारण आवेदन (Final Submit) नहीं हुआ है वे अभ्यर्थी उसी रजिस्ट्रेशन नम्बर से दूबारा आवेदन शुल्क सही विवरण के साथ जमा करने के उपरान्त आवेदन Final Submit कर सकते हैं।
- आवेदन शुल्क जमा करने वाले पेज पर अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक अपना डिटेल भरें जिस कॉलम में जो सूचना माँगी गयी है केवल वही सूचना भरें। आपका रजिस्ट्रेशन नम्बर 10 अंकों का है। अभ्यर्थी सही रजिस्ट्रेशन नम्बर भरें और सभी विवरण सही—सही दें। अन्यथा उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क पेज पर जिस कॉलम में जो विवरण माँगा गया है सिर्फ वही विवरण सावधानी पूर्वक भरें, उसके अतिरिक्त कुछ भी न भरें, जैसे—(Comma,), (Dot.), (Dash-), इत्यादि। अन्यथा आपका आवेदन—पत्र सबमिट नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क पेज पर Remarks का कॉलम दिया गया है, अभ्यर्थी Remarks के कॉलम में कुछ भी न लिखें, अन्यथा आपके Final Submit में त्रुटि आयेगी और आपका आवेदन Final Submit भी नहीं हो सकता है।
- नये रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आवेदन भरें, अन्यथा एक बार Submit होने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव का अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र भरते समय यदि आवेदन पोर्टल में कोई समस्या आती है तो अभ्यर्थी उस पोर्टल का Screenshot लेकर तुरन्त आयोग द्वारा दिये गये ई—मेल (Admin @ uphesc2021.co.in) पर मेल करें। बिना Screenshot के कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- आवेदन—शुल्क जमा करने की संशोधित अन्तिम तिथि 07 जुलाई, 2021 को बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क रात्रि 08 बजे तक ही स्वीकार किया जायेगा। उक्त समय के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा की गयी त्रुटियों के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अनुरोध पर कोई कार्यवाही की जायेगी। अतः आवेदन सावधानीपूर्वक सही विवरण के साथ भरें।

सचिव
उ०शि० आयोग

५१

(वन्दना त्रिपाठी)

सचिव

०१